

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या - 15/औ0-31-29/17 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा-21 के अधीन नियुक्त श्री अमल कुमार, औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना को चिकित्सा युक्ति नियमावली, 2017 (Medical Devices Rules, 2017) के नियम- 18(2) के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य के लिए चिकित्सा युक्ति अधिकारी (Medical Device Officer) के रूप में नामित किया जाता है। चिकित्सा युक्ति नियमावली, 2017 के नियम - 70 के प्रावधानों के तहत वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/औ0-31-29/17 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

प्रतिलिपि - वित्त विभाग, बिहार, पटना के ई0-गजट शाखा को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 15/औ0-31-29/17 48(15)/स्वा0, पटना, दिनांक - 18/11/18


प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग /राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/ /सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - डॉ0 जी0 एन0 सिंह, महाऔषधिनियंत्रक (भारत), एफ0 डी0 ए0 भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली /उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी0 डी0 एस0 सी0 ओ0 (ईस्ट जोन), निजाम पैलेस, 234/4, ए0 जे0 सी0 बोस रोड, कोलकाता- 700020 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी सविल सर्जन, बिहार/ सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - श्री अमल कुमार, औषधि निरीक्षक, राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना